समाहरणालय हजारीबाग

(समाज कल्याण शाखा)

निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2017–18 में अन्यक्षेत्रीय उपयोजना तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजनान्तर्गत हजारीबाग जिला के दिव्यागों के लिए कृत्रिम यंत्र/उपकरण मुहैया कराने हेतु निम्न प्रकार के यंत्र/उपकरण क्रय हेतु अधिकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में दिनांक– 18.9.17 को 12:00 बजे अपराह्न/पूर्वाह्न तक जमा करेंगे। दिनांक–18.9.17 को 4:00 बजे अपराह्न/पूर्वाह्न में उपायुक्त, हजारीबाग की अध्यक्षता में गठित जिला क्रय समिति की बैठक में निविदा खोली जायगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

क्र0	विशेष यंत्र/उपकरण का नाम	क्र0	विशेष यंत्र/उपकरण का नाम
1	ट्राई साइकिल(व्यस्क)	13	एच0के0एफ0ओ0 (वयस्क)
2	ट्राई साइकिल(बच्चा)	14	एच0के0एफ0ओ0 (मध्यम)
3	व्हील चेयर (व्यस्क)	15	सर्जिकल शू– व्यस्क
4	व्हील चेयर (मध्यम)	16	वैसाखी– व्यस्क
5	व्हील चेयर (छोटा)	17	वैसाखी– मध्यम
6	ब्लाइंड स्टिक	18	वैसाखी– छोटा
7	श्रवण यंत्र भी कोड	19	बिलो नी प्रोस्थेसिस
8	श्रवण यंत्र एस कोड	20	एबभ नी प्रोस्थेसिस
9	वाकिंग स्टिक	21	बिलो एलबो प्रोस्थेसिस
10	के.एफ.ओ. कैलिर्पस व्यस्क	22	एबभ एलबो प्रोस्थेसिस
11	के.एफ.ओ. कैलिर्पस मध्यम	23	स्पाइन सर्पोट
12	के.एफ.ओ. कैलिर्पस छोटा		

निविदा की शर्ते :–

1. निविदादाता को निविदा के साथ 30,000/– (तीस हजार) रूपये का अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के पदनाम से संलग्न करना होगा।
2. सामग्री आई0एस0आई0 मानक का होना चाहिए।
3. निविदादाता को फर्म का अद्यतन आयकर, बिक्रीकर प्रमाण–पत्र की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

4. निविदा खुलने के समय निविदादाता को क्रय समिति के समक्ष प्रत्येक उपकरण/यंत्र का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना नमूना के निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदादाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा। तकनीकी निविदा में सफल प्रतिष्ठान का ही वित्तीय निविदा स्वीकार किया जायेगा।
6. निविदादाता फार्म झारखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए साथ ही निविदादाताओं द्वारा यह शपथ–पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/एजेन्सी काली सूची में दर्ज नहीं है।
7. सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत नमूने के अनुरूप जिले के बाल विकास परियोजना कार्यालयों में आपूर्ति आदेश निर्गत करने के 10 दिनों के अन्दर करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथलन व्यय देय नही होगा। निर्धारित समय सीमा के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी।
8. आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. आपूर्ति किये जाने वाले समान का नमूना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
10. निविदा में परिवहन, हथलन सहित सभी प्रकार के कर को सम्मिलित कर दर अंकित करना होगा।
11. आपूर्ति की गयी सामानों की गुणवत्ता उत्तम होनी चाहिए। यदि आपूर्ति की गई सामग्रियों में एक साल के अन्दर कोई खराबी आती है तो उसकी मरम्मती/रख–रखाव की सारी जवाबदेही आपूर्तिकर्त्ता की होगी जिसके लिए उन्हें अलग से कोई राशि देय नही होगी।
12. स्वीकृत/ निविदित प्रतिष्ठान को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के साथ एकरारनामा करना होगा।
13. किसी भी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रदद् करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
14. यंत्र एवं उपकरणों की सूची कार्यालय के सूचना पट पर देखा भी जा सकता है।

11/3/10

उपायुक्त,
हजारीबाग।